उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–391/ग्यारह–9(386)/94ऐक्ट–74–56–नियम–1957–2011–आदेश–(67)

लखनऊ::दिनांक:: 31 मार्च,,2011

<u>अधिसूचना</u>

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74 सन् 1956) की धारा 13 की उपधारा (3) और (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1957 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

केन्द्रीय बिक्री कर (उत्तर प्रदेश) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम 5 का संशोधन	2.	केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1957, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
5 विवरणी (रिटर्न) – प्रत्येक व्यापारी जो अधिनियम के अन्तर्गत कर अदा करने का उत्तरदायी है, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अपने द्वारा किये गये विक्रयों के संबंध में अपने विक्रयधन का एक विवरण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 45 में नियत रीति से विक्रयधन के विवरण के लिए प्रपत्र 1 में प्रस्तुत करेगा– (क) जिस पर व्यवसाय के स्वामी के या फर्म के किसी एक साझीदार या हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के मामले में कुटुम्ब के कर्ता या प्रबन्धकर्ता के अथवा कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी की दशा में निदेशक,	**5 विवरणी (रिटर्न)** – प्रत्येक व्यवहारी जो अधिनियम के अधीन कर अदा करने का उत्तरदायी है, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में अपने द्वारा किये गये विक्रयों के संबंध में अपने आवर्त की एक विवरणी, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 45 में विहित रीति से प्रपत्र 1 में प्रस्तुत करेगा– (क) जिस पर कारबार के स्वामी द्वारा या किसी फर्म के मामलें में उसके किसी एक साझीदार द्वारा या किसी हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के मामले में कुटुम्ब के कर्ता या प्रबन्धकर्ता द्वारा अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित किसी कम्पनी

		प्रबन्धक, अभिकर्ता या प्रधान अधिकारी के, या किसी अवयस्क की दशा में उसके संरक्षक के, या किसी ट्रस्ट की दशा में ट्रस्टी के, अथवा किसी ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता के जिसे व्यापारी ने लिखित रूप से प्राधिकृत किया हो, या सरकार की दशा में, सरकार द्वारा अधिकृत रूप से प्राधिकृत अधिकारी के, अथवा व्यष्टियों के अन्य संगम की दशा में व्यवसाय का प्रबन्ध करने वाले प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिये, और (ख) जिसे उक्त प्रपत्र 1 में दिये गये रीति से सत्यपित किया जायेगा।	के मामलें में निदेशक, प्रबन्धक, अभिकर्ता या उसके प्रमुख अधिकारी द्वारा या किसी अवयस्क की स्थिति में उसके संरक्षक द्वारा या किसी न्यास के मामलें में न्यासी द्वारा अथवा लिखित रूप में व्यवहारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा या सरकार की स्थिति में उस सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अथवा व्यष्टियों के किसी अन्य संगम की स्थिति में कारबार का प्रबन्ध करने वाले प्रमुख अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, और (ख) जिसे उक्त प्रपत्र 1 में उपबंधित रीति से सत्यपित किया जायेगा। **प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार को या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कमिश्नर को प्रपत्र–1 के प्रारूप को उपांतरित करने या संशोधित करने अथवा उसके कारबार से सम्बन्धित कोई अन्य सूचना प्राप्त करने हेतु इसमें किसी अनुलग्नक को जोड़ने की शक्ति होगी।**
नियम 5क का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5क के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् –	
		स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
		विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
		5क यदि कोई व्यापारी जिसने अपने अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अपने द्वारा किये गये विकयों के संबन्ध में अपने विकयधन की नियम 5 मे नियत रीति से विवरणी प्रस्तुत कर दी है, उस प्रस्तुत विवरणी में कोई लोप या त्रुटि पायी जाये तो वह करनिर्धारण हाने से	**5क** यदि कोई व्यवहारी, जिसने अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के प्रकम में अपने द्वारा किये गये विकयों के संबन्ध में अपने आवर्त की, नियम 5 मे विहित रीति से ऐसी विवरणी प्रस्तुत कर दी है, उसमें कोई लोप या त्रुटि पाता है तो वह अगली **कर–अवधि की**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>पूर्व किसी भी समय पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है।</td><td>विवरणी प्रस्तुत करने की विहित समय की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है।</td></tr>
<tr><td>नियम 8 का संशोधन</td><td>4.</td><td colspan="2">उक्त नियमावली के नियम 8 में,–
(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात –</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>स्तम्भ–1
विद्यमान उपनियम</td><td>स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(1) एक पंजीकृत व्यापारी जो केन्द्रीय नियमावली के नियम 12 में अभिदिष्ट घोषणा अथवा प्रमाण पत्र के सादे प्रपत्रों को प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने मण्डल के, अथवा कार्पोरेट मण्डल के करनिर्धारक प्राधिकारी को जहां वह पंजीकृत हो, प्रपत्रों को जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र देगा। प्रार्थना पत्र को केन्द्रीय नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।</td><td>(1)कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जो केन्द्रीय नियमावली के नियम 12 में निर्दिष्ट घोषणा अथवा प्रमाण पत्र के सादे प्रपत्रों को प्राप्त करना चाहता है, अपने ऐसे मण्डल अथवा निगमित मण्डल के करनिर्धारक प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्रों को जारी करने हेतु जहाँ वह रजिस्ट्रीकृत हो, आवेदन करेगा। आवेदन पत्र पर केन्द्रीय नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।
प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्रीय विकय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के अधीन विहित किसी घोषणा अथवा प्रमाण पत्र को विभाग के शासकीय वेबसाईट से ऑन लाईन डाउनलोड करने की प्रकिया को कमिश्नर अवधारित कर सकता है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">(ख)उपनियम (4) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>स्तम्भ–1
विद्यमान खण्ड</td><td>स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(क) कोई भी व्यापारी इस नियम के उपबन्धों के अनुसार यथारूप से प्राप्त प्रपत्रों के अतिरिक्त, जिन्हें उपनियम (14) के अन्तर्गत</td><td>(क) कोई व्यवहारी इस नियम के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से डाउनलोड किये गये अथवा प्राप्त प्रपत्रों, जिन्हें</td></tr>
</table>

		अप्रचलित अथवा अवैध न घोषित किया गया हो, अन्य किसी प्रपत्र में घोषणा अथवा प्रमाण पत्र नहीं दे सकेगा।	उपनियम (14) के अधीन अप्रचलित अथवा अवैध न घोषित किया गया हो के सिवाय किसी अन्य प्रपत्र में घोषणा अथवा प्रमाण पत्र नहीं दे सकेगा।
		(ग) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (5), (6) और (7) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेगें अर्थात –	
		स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
		(5) उपनियम–(1) के अर्न्तगत व्यापारी द्वारा प्राप्त प्रत्येक प्रपत्र और ऐसे व्यापारी द्वारा अन्य व्यापारी से प्राप्त प्रत्येक घोषणा या प्रमाण पत्र का प्रपत्र जो प्राप्त किया जाता है या सरकार के विभाग से प्राप्त किया जाता है उसके द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा और ऐसे किसी प्रपत्र के खोने, नष्ट होने या चोरी चले जाने से हुई क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से ऐसे किसी प्रपत्र के नष्ट अथवा चोरी होने के फलस्वरूप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष राजस्व की क्षति के लिए, यदि कोई हो, वह जिम्मेदार होगा।	(5) उपनियम–(1) के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा **डाउनलोड किये गये अथवा** प्राप्त प्रत्येक प्रपत्र और ऐसे व्यवहारी द्वारा अन्य व्यवहारी से या सरकारी विभाग से प्राप्त घोषणा या प्रमाण पत्र के प्रत्येक प्रपत्र को उसके द्वारा निरापद अभिरक्षा में रखा जायेगा और ऐसे किसी प्रपत्र के खोने, नष्ट होने या चोरी हो जाने के लिए या ऐसी क्षति या चोरी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व यदि कोई हो, की क्षति के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
		(6) प्रत्येक व्यापारी, प्रपत्र–IV तथा V के रजिस्टर में, उपनियम–(1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त या किसी अन्य व्यापारी द्वारा उसे उपयुक्त राज्य सरकार के नियमों के अधीन प्रदा, जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक प्रकार के प्रपत्रों का सत्य एवं पूर्ण लेखा रखेगा।	(6) प्रत्येक व्यवहारी यथास्थिति प्रपत्र–चार या पॉच के रजिस्टर में, उपनियम–(1) के अधीन अपने द्वारा **डाउनलोड किये गये अथवा** प्राप्त या अन्य व्यवहारी द्वारा उसे राज्य सरकार के उपयुक्त नियमों के अधीन उपलब्ध कराये गये, प्रत्येक प्रकार के प्रपत्रों का शुद्ध एवं पूर्ण लेखा अनुरक्षित रखेगा।
		(7) यदि व्यापारी द्वारा उपनियम–(1) के अधीन प्राप्त सादे प्रपत्र या अन्य व्यापारी द्वारा अथवा सरकार के विभाग द्वारा उसे प्रदा यथोचित रूप से पूर्णतया	(7) यदि किसी व्यवहारी द्वारा उपनियम–(1) के अधीन **डाउनलोड किया गया अथवा** प्राप्त सादा प्रपत्र अथवा अन्य व्यवहारी द्वारा या

		भरा हुआ खो जाये, नष्ट हो जाये अथवा चोरी हो जाये, चाहे ऐसा नुकसान, क्षति या चोरी तब हो जब यह ऐसे व्यापारी के संरक्षण में हो जिसमें उसे उपनियम–(1) के अधीन प्राप्त किया हो या जो उसे दूसरे व्यापारी से मिला हो या दूसरे व्यापारी अथवा कर निर्धारक प्राधिकारी के पास पारेषण के दौरान मे हो, वह तुरन्त इस तथ्य की सूचना संबंधित कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा, और प्रपत्र–IV या प्रपत्र–V के रजिस्टर के विशेष विवरण के स्तम्भ में समुचित प्रविष्टि करेगा, जैसी भी स्थिति हो, और कर निर्धारक प्राधिकारी के निर्देशानुसार ऐसे खोने, नष्ट होन या चोरी चले जाने की सार्वजनिक सूचना जारी करने हेतु कुछ अन्य कार्यवाही करेगा।	किसी सरकारी विभाग द्वारा उसे उपलब्ध कराया गया सम्यक् रूप से पूर्ण किया गया प्रपत्र खो जाता है, नष्ट हो जाता है अथवा चुरा लिया जाता है, चाहे ऐसी क्षति, नुकसान या चोरी तब हो जब यह ऐसे व्यवहारी की अभिरक्षा में हो, जिसने उसे उपनियम(1) के अधीन प्राप्त किया हो या जो उसे दूसरे व्यवहारी से उपलब्ध हुआ हो या अन्य व्यवहारी अथवा कर निर्धारक प्राधिकारी के पास पारेषण के प्रक्रम में हो, तो वह तुरन्त इस तथ्य की सूचना संबंधित कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा, यथास्थिति प्रपत्र–चार या प्रपत्र–पॉच के रजिस्टर की अभ्युक्ति के स्तम्भ में समुचित प्रविष्टियॉ करेगा, और ऐसी क्षति, नुकसान या चोरी होने की सार्वजनिक सूचना जारी करने हेतु कुछ अन्य उपाय करेगा, जैसाकि कर निर्धारक प्राधिकारी निदेश दे।
		(घ) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (11) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात –	
		स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
		विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
		(11)कोई भी व्यापारी जिसने उपनियम–(1) के अधीन प्रपत्र प्राप्त किया हो, अधिनियम की धारा 6, धारा 6क अथवा धारा 8 के वैध प्रयोजन के सिवाय, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा।	(11)कोई भी व्यवहारी, जिसने उपनियम–(1) के अधीन कोई प्रपत्र **डाउनलोड अथवा** प्राप्त किया हो, अधिनियम की धारा 6, धारा 6क अथवा धारा 8 के विधिमान्य प्रयोजन के सिवाय, उक्त प्रपत्र को किसी व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा।
		(ड़) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (17) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात –	
		स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
		विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

		(17)कर निर्धारक प्राधिकारी उपनियम–(2) के अधीन अगले ऐसे प्रपत्र के जारी करने के आदेश देने के पूर्व, व्यापारी को पूर्व मे जारी प्रपत्रों का लेखा प्राप्त करेगा। वह अपने विवेक से व्यापारी को पहले से जारी किये गये तथा उसके द्वारा प्रयोग किये गये प्रपत्रों के प्रतिपर्ण भागों को भी परीक्षण हेतु मांग कर सकता है।	(17) कर निर्धारक प्राधिकारी उपनियम–(2) के अधीन ऐसे अगले प्रपत्र को जारी करने के आदेश करने के पूर्व, किसी व्यवहारी को पूर्व मे जारी **अथवा व्यवहारी द्वारा डाउनलोड किये गये** प्रपत्रों का लेखा प्राप्त करेगा। वह अपने विवेक से व्यवहारी को पहले से जारी **अथवा** उसके द्वारा **डाउनलोड** किये गये तथा उसके द्वारा प्रयोग किये गये प्रपत्रों के प्रतिपर्णों के परीक्षण की भी मांग कर सकता है।

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव